



2026:AHC : 51636

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3445/2026

नरसिंह चौरसियायाचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ एवं 3 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता- किरण रानी, लालू यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता- ए.एस.जी.आई., सी.एस.आई.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री किरण रानी, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव और राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी.के. श्रीवास्तव को सुना गया।
2. श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव ने इस न्यायालय के समक्ष मेजर ओ.आई.सी. लीगल सेल के हस्ताक्षर वाले दिनांक 12.03.2026 के निर्देश प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार, वह कोई शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और रिट याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि प्रतिवादियों द्वारा भारतीय सेना में अग्निवीर के चयन और नियुक्ति के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। रिट याचिकाकर्ता, जो सभी प्रकार से पूर्णतः पात्र और योग्य है, का चयन होना बताया गया है। हालांकि, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, 10.01.2026 को प्रतिवादियों द्वारा एक आदेश पारित किया गया जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
5. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि विवादित आदेश को इस साधारण कारण से बरकरार नहीं रखा जा सकता कि प्रतिवादियों ने इस बात पर विचार किया कि कारण बताओ नोटिस, समय और अवसर दिए जाने के बावजूद, रिट याचिकाकर्ता ने अनिवार्य दस्तावेज, जो कि पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र है, प्रस्तुत करने के संबंध में अपना जवाब नहीं दिया। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित आदेश में जिन कारण बताओ नोटिसों का उल्लेख किया गया है, वे रिट याचिकाकर्ता को तामील नहीं किए गए थे और यदि उक्त कारण बताओ नोटिस रिट याचिकाकर्ता को तामील किए गए होते, तो रिट याचिकाकर्ता उनका उत्तर देता। दलील यह है कि विवादित आदेश में कारण बताओ नोटिसों का जिक्र है, लेकिन उस तारीख का कोई उल्लेख नहीं है जिस दिन उक्त कारण बताओ नोटिस तामील किए गए थे। कारण बताओ नोटिस की तारीख के बारे में तो कहना ही क्या। इन कथनों की पुष्टि के लिए पैराग्राफ-15 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।
6. श्री श्रीवास्तव, जो आज प्राप्त निर्देशों के आधार पर प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए हैं, ने दिनांक 24.12.2025 के कारण बताओ नोटिस और दिनांक 01.01.2026 के दूसरे और अंतिम कारण बताओ नोटिस का उल्लेख किया है। उनका तर्क है कि कारण बताओ नोटिस और दूसरे व अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, रिट याचिकाकर्ता ने अपना जवाब पेश नहीं किया था। अतः प्रतिवादियों के पास कारण बताओ नोटिस के जवाब के अभाव में आदेश पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
7. मैंने बार (Bar) में दी गई दलीलों को सुना और रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
8. स्पष्ट रूप से, रिट याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी प्रतिवादियों द्वारा 10.01.2026 को रद्द कर दी गई थी, जिसका आदेश नीचे उद्धृत है:—

"1. रोल नंबर LUC_UTT_VAR_AVGD_2025 122367 नाम नरसिंह चौरसिया, पिता का नाम कमलेश/RMDS संख्या 52672 ग्राम-कहरौली, पोस्ट-पीपीगंज, जिला-गोरखपुर, पिन-273165

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्ष 2025-26 के लिए अग्निवीर की भर्ती अधिसूचना के अनुसार, अनिवार्य दस्तावेजों में से एक पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र था। रैली के दौरान आपने इसे प्रस्तुत नहीं किया था, हालांकि मानवीय आधार पर आपको रैली में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। आपको चेतावनी दी गई थी कि यदि आपका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में आता है, तो प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने से पहले आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पर्याप्त समय, अवसर और कारण बताओ नोटिस दिए जाने के बावजूद आप इसे उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं।
3. आपकी उम्मीदवारी एतद्वारा रद्द की जाती है और आपके स्थान पर अग्निवीर की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले नए उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।"
9. हालांकि विवादित आदेश में यह कहा गया है कि पर्याप्त समय, अवसर और कारण बताओ नोटिस दिए जाने के बावजूद रिट याचिकाकर्ता कोई जवाब देने में विफल रहा, लेकिन कारण बताओ नोटिस की तारीख और वह तारीख जिस दिन इसे रिट याचिकाकर्ता पर तामील किया गया था, का कोई उल्लेख नहीं है। वास्तव में, विवादित आदेश में इस तथ्य के बारे में कुछ और उल्लेख किया जाना आवश्यक था कि कारण बताओ नोटिस कब जारी किया गया और रिट याचिकाकर्ता को किस विशेष तारीख पर तामील किया गया तथा तामील होने के बावजूद रिट याचिकाकर्ता ने अपना जवाब क्यों नहीं दिया। इस प्रक्रिया का अभाव है। इन्हीं परिस्थितियों में रिट-ए संख्या 1653/2026, मंटू कुमार चौहान बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिसका निर्णय 05.02.2026 को हुआ था, में भी कारण बताओ नोटिस का जवाब न देने के संबंध में वही शब्द थे। उक्त निर्णय का पैराग्राफ-9 नीचे उद्धृत है:—

"9. दिनांक 10.01.2026 का विवादित आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द की गई है, नीचे उद्धृत है:-

"दूरभाष: 0542-2506655

ई-मेल: vararo@nic.in

सेना भर्ती कार्यालय वाराणसी

वाराणसी छावनी वाराणसी (उ.प्र.) - 221002

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1406/Rtg/R2 (10 जनवरी 2026) RMDS संख्या 30963 मंटू कुमार चौहान, सुपुत्र कमलेश चौहान

ग्राम- हसनपुर उर्फ बच्चईपुर नगरा, पोस्ट- हसनपुर उर्फ बच्चईपुर नगरा जिला- बलिया, पिन- 221711

(उ.प्र.)

उम्मीदवारी का निरस्तीकरण

1. रोल नंबर LUC_UTT_VAR_AVGD_2025_120153 नाम मंटू कुमार चौहान, पिता का नाम कमलेश चौहान, RMDS संख्या 30963, ग्राम- हसनपुर उर्फ बच्चईपुर नगरा, पोस्ट-हसनपुर उर्फ बच्चईपुर नगरा, जिला- बलिया, पिन-221711 (उ.प्र.)।
2. वर्ष 2025-26 के लिए अग्निवीर की भर्ती अधिसूचना के अनुसार, अनिवार्य दस्तावेजों में से एक पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र था। रैली के दौरान आपने इसे प्रस्तुत नहीं किया था, हालांकि मानवीय आधार पर आपको रैली में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। आपको चेतावनी दी गई थी कि यदि आपका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में आता है, तो प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने से पहले आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पर्याप्त समय, अवसर और कारण बताओ नोटिस दिए जाने के बावजूद आप इसे उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं।
3. आपकी उम्मीदवारी एतद्वारा रद्द की जाती है और आपके स्थान पर अग्निवीर की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले नए उम्मीदवार का चयन किया जाएगा।

(शैलेश कुमार)

कर्नल

निदेशक भर्ती

10. चूंकि रिट याचिकाकर्ता कारण बताओ नोटिस की तामील पर विवाद कर रहा है, और विवादित आदेश में उस तारीख का कोई उल्लेख नहीं है जिस दिन कारण बताओ नोटिस जारी और तामील किया गया था, अतः विवादित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

11. तदनुसार, रिट याचिका निम्नलिखित शर्तों पर तय की जाती है:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(क) प्रतिवादियों द्वारा रिट याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द करने वाला दिनांक 10.01.2026 का आदेश रद्द किया जाता है।

(ख) चूंकि दिनांक 24.12.2025 का कारण बताओ नोटिस और 01.01.2026 का दूसरा और अंतिम कारण बताओ नोटिस अब रिट याचिकाकर्ता की जानकारी में है क्योंकि वे रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दिए गए निर्देशों का हिस्सा हैं, अतः रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता 31.03.2026 तक दिनांक 24.12.2025 और 01.01.2026 के कारण बताओ नोटिस का जवाब देंगे और उस पर सक्षम प्राधिकारी उसके बाद दो सप्ताह की अवधि के भीतर एक विशिष्ट आदेश पारित करेंगे।

12. केवल इसलिए कि रिट याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द करने वाले दिनांक 10.01.2026 के आदेश को रद्द कर दिया गया है, रिट याचिकाकर्ता को बहाली या कार्यभार ग्रहण करने का स्वचालित अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि यह प्राधिकारी द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगा।

13. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

13 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।